प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालना लेखापरीक्षा शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जोकि 2012-13 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय नोट किये गए थे इसके साथ-साथ वह भी जोकि पूर्व वर्षों में नोट किए गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे, आवश्यकता अनुसार 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया था।